परि [20/3/2020] -(1)

प्रश्न सं. [क्र. 1827]

परिशिष्ट - "अ"

म.प्र. भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार कल्याण मण्डल द्वारा वर्तमान में संचालित योजनायें

क्र.	योजना का नाम	योजना प्रारंभ वर्ष
1	म.प्र.भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार चिकित्सा सहायता योजना (पुनरीक्षित)	2004
2	हिताधिकारी की पुत्री/महिला हिताधिकारी के स्वयं के विवाह हेतु सहायता	2004
3	प्रसूति सहायता योजना	2004
4	मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि सहायता एवं अनुगृह भुगतान योजना	2004
5	शिक्षा हेतु प्रोत्साहन राशि योजना	2004
6	निर्माण श्रमिक कौशल प्रशिक्षण योजना	2012
7	राज्य लोकसेवा आयोग एवं संघ लोकसेवा आयोग की परीक्षा पर सफलता पर पुरूस्कार योजना	2012
8	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार आवास (ग्रामीण) योजना	2013
9	भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार पेंशन योजना	2013
10	सुपर 5000 (कक्षा–10) योजना	2013
11	सुपर 5000 (कक्षा–12) योजना	2013
12	निर्माण स्थल पर कार्य के दौरान अपंजीकृत श्रमिक की मृत्यु की दशा में अंत्येष्टि एवं अनुग्रह राशि भुगतान योजना	2014
13	खिलाड़ी प्रोत्साहन योजना	2014
14	निर्माण श्रमिक रैन बसेरा योजना	2014
15	सायकल अनुदान योजना	2014
16	औजार/उपकरण खरीदी हेतु अनुदान योजना	2014
17	मुख्यमंत्री भवन एवं अन्य संनिर्माण कर्मकार नगरीय आवास योजना	2018
18	निर्माण पीठा श्रमिक आश्रय (शेड) योजना	2019
19	विदेश अध्ययन हेतु निःशुल्क शिक्षा योजना	2019

अनुभाग अधिकारी

तारांकित प्र० क्र० - 1827 का परिशिष्ट - "ब"

परिशिष्ट "ब"

अनुसूची –अ

जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता भी सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

67 अनुसूचित नियोजन में मासिक एवं दैनिक वेतन दरें जिसमें परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता सम्मिलित है (आंकडे रूपयों में)

न्यूनतम मूल वेतन		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउण्ड अप कर दैनिक दर	श्रमिकों का वर्ग	न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरें		परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता		कुल वेतन		रूपये में राउन्डअप कर दैनिक दरें
प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन		प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिमाह	प्रतिदिन	प्रतिदिन
दिनांक 01.04.2019 से 30.9.2019 तक								दिनांक 01.10.2019 से 31.03.2020 तक						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10	11	12	13	14	15
6500.00	250.00	1200.00	46.15	7700.00	296.15	296.00	अकुशल	6500.00	250.00	1450.00	55.76.	7950.00	305.76	306.00
7057.00	271.42	1500.00	57.69	8557.00	329.11	329.00	अर्धकुशल	7057.00	271.42	1750.00	67.30	8807.00	338.73	339.00
8435.00	324.42	1500.00	57.69	9935.00	382.11	382.00	कुशल	8435.00	324.42	1750.00	67.30	10185.00	391.73	392.00
9735.00	374.42	1500.00	57.69	11235.00	432.11	432.00	उच्चकुशल	9735.00	374.42	1750.00	67.30	11485.00	441.73	442.00

स्पष्टीकरण–

(1) मजदूरी निर्धारण में पैसे तथा रूपये के गुणांको को राउण्ड अप करके ही दैनिक एवं मासिक मजदूरी निर्धारित की जावेगी। वित्त विभाग के परिपत्र क्रमांक एफ 9–7/2006/नियम/चार, दिनांक 20 सितम्बर,2006 में 50 पैसे अथवा उससे अधिक पैसे हो तो, उन्हें अगले उच्चतर रूपये में पूर्णांकित किया जावेगा और 50 पैसे से कम राशि को छोड़ दिया जावेगा।विशेष-टीप :– उपर्युक्त अनुसूची –क में निर्धारित दैनिक वेतन की दरें 30 दिन से विभाजित कर निर्धारित की गई है। इसलिए सभी कर्मचारियो एवं श्रमिको को वेतन सहित साप्ताहिक अवकाश देय होगा, अर्थात मासिक वेतन में से साप्ताहिक अवकाश के लिए कोई कटोत्री नहीं की जा सकेगी।

(2) अकुशल श्रमिकों के लिए दर्शाई गई वेतन दरों पर लेबर ब्यूरो शिमला द्वारा निर्मित औद्योगिक श्रमिकों के लिए अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 253 (2001=100) जुलाई 2014 से दिसम्बर 2014 के आधार आंकड़ों के औसत पर आधारित है । 253 सूचकांक के ऊपर प्रति 6 माह में जो औसत वृद्धि होगी उसी अनुपात में उपभोक्ता मूल्य सूचकांक में वृद्धि दिनांक 1 अप्रैल एवं 1 अक्टूबर जैसी भी स्थिति हो प्रतिबिन्दु प्रतिमाह 25 रूपये के हिसाब से परिवर्तनशील मंहगाई भत्ता घोषित किया जावेगा।

(3) इस प्रकार अधिसूचित न्यूनतम वेतन की दरों का प्रवर्तन किसी भी कर्मचारी पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा, यदि विद्यमान वेतन की दरें न्यूनतम वेतन की पुनरीक्षित दरों से अधिक है, तो वह किसी भी दशा में कम नहीं की जावेगी, जब तक की न्यूनतम वेतन की दर उसके समकक्ष नहीं हो जाती है। (न्यूनतम वेतन अधिनियम,1948 की धारा 12(1–ए)

टीपः– न्यूनतम वेतन अधिनियम 1948, के अन्तर्गत 67 अनुसूचित नियोजनों की सूची परिशिष्ट–अ तथा इस संबंध मे स्पष्टीकरण परिशिष्ट–द में देखे।

20/9/19
(आशुतोष अवस्थी)
श्रम आयुक्त
मध्य प्रदेशए इंदौर

परिशिष्ट-"अ"

कार्यालय नगर पालिक निगम कटनी (म0प्र0)

विधानसभा तारांकित प्रश्न कमांक 1827 (मान. श्री संदीप श्रीप्रसाद जायसवाल)

पूरक जानकारी

विषय :— विधानसभा तारांकित प्रश्नक्रमांक 1827 से संबंधित जानकारी ।

संदभ :— श्रम पदाधिकारी कार्यालय का पत्रक्रमांक / उसक / 20 / 691 कटनी

दिनांक 2.03.2020

विषयान्तर्गत संदर्भित पत्र के परिपेक्ष्य में लेख है कि नगरपालिक निगम कटनी में सुचारू कार्य संचालन हेतु कार्य की आवश्यकतानुसार विभिन्न शाखाओं में दैनिक वेतन पर विगत तीन वर्षो से 549 दैनिक एवं 03 कर्मचारी फिक्स मासिक वेतन पर कार्यरत हैं। जिन्हें शासन द्वारा निर्धारित दैनिक / फिक्स वेतन अनुसार पारिश्रमिक का भुगतान किया जा रहा है।

शासन की विनियमितिकरण योजना के अंतर्गत पूर्व से फिक्स वेतन पर कार्यरत कर्मचारियों को शासन निर्देशानुसार दिनॉक 24.10.2017 को 127 कर्मचारियों को विनियमित (स्थायी) किया गया है जिन्हें शासन द्वारा निर्धारित वेतनमान अनुसार मासिक वेतन का भुगतान किया जा रहा है एवं वर्तमान में 121 कर्मचारी कार्यरत हैं शेष कर्मचारी सेवानिवृत्त / मृतक हो चुके हैं।

उक्त कर्मचारियों से कब से कौन सा कार्य लिया जा रहा है तथा किस कार्य हेतु रखा गया था किस विभाग के अंतर्गत कार्यरत हैं, उनके रखने, कार्य लेने तथा वेतन भुगतान से संबंधित विभाग प्रमुखों द्वारा उपलब्ध जानकारी अनुसार उत्तर तैयार किया गया है।

उपरोक्तानुसार पूरक जानकारी आपकी ओर सादर प्रेषित है।

स्थापना प्रभारी
नगरपालिक निगम, कटनी

अनुभाग अधिकारी
मध्यप्रदेश शासन
श्रम विभाग